समाहरणालय, सहरसा
न्यायालय–समाहर्त्ता, सहरसा
विविध वाद संख्या–01/2013

25.9.18

प्रथम पक्ष :– (1) परशुराम यादव, पिता–श्री महादेव मंडल,
(2) जयराम यादव, पिता–श्री महादेव मंडल,
सा0–अमृतागढ़, थाना व अंचल–सोनवर्षा,
जिला–सहरसा।

बनाम

द्वितीय पक्ष :– (1) बिहार सरकार वजरिये समाहर्त्ता, सहरसा।
(2) अंचल अधिकारी, सोनवर्षा।
(3) शंकर राम, पिता–छोटे राम।
(4) मसुदन ऋषिदेव, पिता–जामुन सादा,
सा0–अमृता, थाना व अंचल–सोनवर्षा,
जिला–सहरसा।

–:: आदेश ::–

यह वाद प्रथम पक्ष आवेदक परशुराम यादव एवं अन्य के द्वारा इस न्यायालय में मौजा–अमृता, खाता नं0–535 एवंव खेसरा नं0–878 में प्रतिपक्षी संख्या–3 शंकर राम, पिता–छोटे राम के नाम 40 डी0 तथा प्रतिपक्षी संख्या–04, मसुदन ऋषिदेव, पिता–जामुन सादा के नाम 11 डी0 से संबंधित दिनांक 08.08.2000 को निर्गत परवाना के रद्दीकरण हेतु दायर किया गया है।

आवेदक का कहना है कि मौजा–अमृता के पुराना खाता संख्या–144, पुराना खेसरा–109 से रकवा 1 बीघा 02 कट्ठा से यह नया खेसरा कायम हुआ है, जो जमीन आवेदक के पिता महादेव मंडल को मालिक जमीन्दार से बन्दोबस्त वजरिये 1347 यानि वर्ष–1947 ई0 में प्राप्त हुआ तथा मालिक जमीन्दार द्वारा लगान रसीद निर्गत किया गया। तत्पश्चात् आवेदक के पिता महादेव मंडल ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ वाद संख्या–02/73–74 दायर कर जमाबन्दी कायम करने का अनुरोध किया, जिस वाद में दिनांक–11.04.1982 को विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक के पिता के नाम से जमाबन्दी संख्या–825 कायम है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि नये रिविजनल सर्वे में यह खाता गलती से अनावाद बिहार सरकार खुल गया, जिसमें सुधार हेतु उन्होंने बी0टी0एक्ट0 की धारा 106 के अन्तर्गत मुकदमा संख्या–552/1977 कायम हुआ। इस वाद में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 13.08.1984 को आदेश पारित किया गया तथा खाता आवेदक के पिता–महादेव मंडल के नाम से खोलने का आदेश पारित हुआ।

इनका कहना है कि आवेदक की इसी जमीन में से श्री शंकर राम के द्वारा 40 डी0 तथा मसुदन ऋषिदेव को 40 डी0 का पर्चा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि नाजायज है।

प्रतिपक्षी संख्या–03 एवं 04 के द्वारा अपने पक्ष में यह कहा गया है कि विपक्षी भूमिहीन एवं महादलित समुदाय के हैं। प्रश्नगत भूमि नया सर्वे खतियान के अनुसार बिहार सरकार के खाते की है।

25.9.18

अंचल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त हम दोनों को जमीन का औपबंधिक परवाना निर्गत किया गया है, जो वैध और जायज है। अपीलार्थी/आवेदक का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा ने जमाबंदी संशोधन वाद संख्या–929/2008 में दिनांक 18.06.2013 को पारित आदेश में उल्लेख किया है कि प्रतिपक्षी संख्या–3 एवं 4 को दिनांक–08.08.2000 को बंदोबस्ती का परवाना दिया गया है तथा राजस्व कर्मचारी ने इसी आधार पर प्रतिपक्षी संख्या–3 एवं 4 के नाम जमाबंदी सृजित किया है। बंदोबस्ती की तिथि से ही प्रतिपक्षी संख्या–3 एवं 4 उक्त भूमि पर दखलकार हैं।

उल्लेखनीय है कि रिविजनल सर्वे का कार्य वर्ष 1964–65 में सम्पन्न हुआ एवं जमीन्दारी उन्मूलन की कार्रवाई वर्ष–1956 में ही पूरी कर ली गयी। यह विचारणीय विषय है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात गलत ढंग से फर्जी रसीद प्राप्त कर जमाबन्दी सृजन का आदेश दिनांक–13.08.1984 को प्राप्त कर लेना कहाँ तक उचित है। अंचल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रतिपक्षी संख्या–3 एवं 4 को परवाना निर्गत किया है। स्पष्ट है कि परवाना निर्गमन करने की तिथि को भी प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल में नही पाई गई। आवेदक द्वारा बहस के क्रम में जमीन्दारी रिटर्न की प्रति भी दाखिल नहीं की गयी है। जहाँ तक बी0टी0एक्ट0 की धारा 106 के अन्तर्गत आदेश प्राप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 150/भू.अ.नि., दिनांक–06.06.2013 को प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय को पत्र लिखकर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), सहरसा द्वारा पूर्व से लंबित वादों को पिछली तारीख में (Back Dating) कर आदेश पारित करने के संबंध में विस्तृत जाँच करने हेतु लिखा गया। जाँच के क्रम में बी0टी0एक्ट0 की धारा 106 के अन्तर्गत पारित सभी मामलों में भारी अनियमितता पायी गयी तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन की सरकार को भेजा गया है।

जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् किसी भी जमीन की बन्दोबस्ती करने का अधिकार मालिक जमीन्दार को अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार मालिक जमीन्दार से वर्ष 1973 में अवैध तरीके से प्राप्त जमीन की बन्दोबस्ती संबंधी कागजात कहीं से भी जायज नहीं माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा ने दिनांक 11.04.1982 को आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाता संख्या–535, खेसरा संख्या–878, रकवा–80 डी0 भूमि बिहार सरकार की जमीन है तथा अंचल अधिकारी द्वारा श्री शंकर राम वो मसुदन ऋषिदेव को निर्गत 40–40 डिसमल का पर्चा वैध वो जायज है। उक्त आलोक में आवेदक का आवेदन निस्तार किया जाता है।

लेखापित एव शुद्धिकृत

26.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1512-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
26.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।